न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

प्र0सं0, 02/2021,(जी.सी.एम.एस. न. 2021/00211) व इजलाश हेमन्त कुमार (R.A.S)

उनवान

गीता पत्नी बाबू उर्फ रामचन्द्रसिंह जाति जादों ठाकुर निवासी ग्राम ऊमरा तहसील डीग

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत अऊ जरिये सरपंच
2. वासी पुत्र रामफल जाति नाई निवासी ग्राम ऊमरा तहसील डीग
3. पार्वती बेवा महेन्द्र
4. माया पुत्री महेन्द्र
5. मीरा पुत्री महेन्द्र

(3–5) जाति नाई नि0ऊमरा तहसील डीग(भरतपुर)राज0

—रैस्पोडेंट्स

उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट विरूद्व आंशिक आदेश दिनांक 07.07.2006 दा0खा0 संख्या 388, ग्राम पंचायत अऊ पंचायत समिति,डीग

निर्णय दिनांकः 22.11.2022

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस आशय के साथ पेश की गई है कि आ.ख.नम्बरान 1191/0.19, 1192/0.18, 1193/0.13, 1194/0.08, 1195/0.08, 1198/0.22, 1202/0.20, किता 07 रकबा 1.08 हैक्टे0, वाके ग्राम ऊमरा तहसील डीग का सम्पूर्ण हिस्सा मुताविक जमाबन्दी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तहरीरी दिनांक 08.11.2005 व पंजीबद्व दिनांक 21.12.2005 को रेस्पो0 संख्या 02 लगायत 05 से खरीद किया था जिस पर बाद क्रय से अपीलाण्ट के नाम ग्राम पंचायत अऊ द्वारा रैस्पो0 संख्या 03 लगायत 05 की आराजी पर नामान्तरकरण सही प्रकार उनके हिस्से की आराजी पर कर दिया किन्तु रैस्पो0 संख्या 05 द्वारा अपने हिस्सा की आराजी का नामान्तरकरण बयनामा तहरीरी दिनांक 08.11.2005 व पंजीबद्व दिनांक 21.12.2005 के आधार पर नहीं किया गया है, जबकि रैस्पो0 सं0 02 वासी द्वारा भी अपने हिस्सा की आराजी का बेचान अपी0 को किया गया था वक्त बयनामा उक्त ऊमरा की पंचायत पूर्व में अऊ थी लेकिन अब उक्त गॉव ऊमरा की ग्राम पंचायत सांवई में कर दिया है। उक्त वर्णित आराजी का बयनामा के अनुसार रैस्पो0 के अनुसार रैस्पो0 संख्या 03 लगायत 05 के हिस्से की आराजी का नामा0 तो अपी0 के नाम कर दिया किन्तु रैस्पो0 वासी द्वारा बेचान की गई उसके हिस्सा आराजी का बयनामा के अनुसार अपी0 के नाम किया गया है, इसलिए रैस्पो0 सं. 02 वासी के हिस्सा की आराजी का नामा0 अपी0 के नाम करना चाहिए था लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा बयनामा के अनुरूप नामा0 दर्ज नहीं किया गया है। अपी0 को सुनवाई का नोटिस जारी नहीं किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

Scanned by AnyScanner

अतः निवेदन है कि अपील अपी0 स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सांमई तहसील डीग पंचायत समिति डीग के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2006 नामान्तरकरण संख्या 388 ग्राम अऊ तहसील डीग निरस्त फरमायें।

अपील अपी0दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पो0 को जरिये नोटिस तलब कियाग गया। दिनांक 25.02. 2021 को रैस्पो0 सं. 01 बावजूद सूचना व तामील के उपस्थित नहीं होने से रैस्पो0 सं. 01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा रैस्पो0 सं. 02 वासी स्वयं उपस्थित आये। दिनांक 06. 09.2022 को अपी0 के प्रार्थना के आधार पर रैस्पो0 संख्या 03 लगायत 5 को तर्क किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील अपी0 की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया। वकील अपी0 ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे।

बयनामा,जमाबन्दी व दा0 खा0 का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत अऊ द्वारा पारित नामा0 सं0 388 दिनांक 07.07.2006 का निर्णय करते समय तहत न्यायालय/ग्राम पंचायत अऊ द्वारा रैस्पो0 संख्या 2 के हिस्से को छोड दिया गया, जबकि बयनामा रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 5 के द्वारा किया गया। बयनामा के अनुसार इन्द्राज नियमानुसार नहीं किया जाना प्रतीत होने से हम अपी0 द्वारा प्रस्तुत अपील को तहसीलदार डीग को प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः—

अपील अपी0 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत अऊ तहसील व पंचायत समिति डीग द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2006 नामान्तरकरण संख्या 388 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार डीग को इस निर्देश के साथ **प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड)** किया जाता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के अनुरूप सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तथा रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.12.2005 की जॉच की जाकर सम्बन्धित पक्षकारों से जॉच कर बयनामा दिनांक 21.12.2005 के आधार पर नियमानुसार पुनः उचित निर्णय पारित करें।

इस बावत निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को प्रेषित हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)
उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)
उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.

Scanned by
AnyScanner